न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी:—राजेन्द्र सिंह, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 09/2019

1. निर्मला देवी धर्म पत्नि श्री सुरेश कुमार जाति जाट निवासी रामजीवाला तहसील रायसिंहनगर
2. रंजन
3. मोनिका } पिसरान सुरेश कुमार जाति जाट निवासी रामजीवाला तहसील रायसिंहनगर
4. रमेश कुमार पुत्र दरिया सिंह जाति जाट निवासी रामजीवाला तहसील रायसिंहनगर
   क्रम सं. 2ता4 जरिए मुखत्यार आम निर्मला देवी पत्नि सुरेश कुमार

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रामलाल पुत्र देवाराम जाति बावरी निवासी रामजीवाला तहसील रायसिंहनगर
2. गोपाली देवी पत्नि हरिराम जाति बिश्नोई निवासी लुणेवाला तहसील रायसिंहनगर
3. राजस्थान सरकार जरये तहसीलदार रायसिंहनगर

—अप्रार्थीगण

राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251—क की उपधारा (1) के अधिनियम अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थिति:—

1. श्री सतपालबिश्नोई, वकील प्रार्थीगण
2. श्री धर्मवीर सिंह, वकील अप्रार्थी सं. 2

—: निर्णय :—

दिनांक:—26.11.2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर अपनी जोत कृषि भूमि चक 29 पी.एस. बी के मु.नं. 36 कि.नं. 16 ता 25 कुल 2.530है एवं मु.नं. 45 के कि.नं. 1 ता 25 की 6.325है कुल 8.855है. नहरी मय खाला भूमि में पंहुच के लिए अप्रार्थी सं. 1 की भूमि चक अमरसर के मु.नं. 2 के कि.नं. 1—10—11—20—21 में दो—दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की तलबी जरिए रजि. एडी नोटिस करवायी गयी। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा हाजिर नहीं आने पर न्यायालय के आदेश दिनांक 14.05.2019 के द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में गोपाली देवी द्वारा अपने मु.नं. 46 के कि.नं. 21 के कार्नर से प्रार्थीगण के मु.नं. 45 में आने जाने हेतु रास्ता स्वीकृति हेतु सहमति पत्र देने पर गोपाली देवी का आवश्यक पक्षकार होने के कारण बतौर अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किया गया।

संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक से मौका जॉच रिपोर्ट ली गयी। रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक भोमपुरा की रिपोर्ट के प्रार्थीण द्वारा अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि चक 29 पीएस बी के प.नं. 233/301 मु.नं. 36 कि.नं. 16 ता 25 प.नं. 233/302 मु.नं. 45 कि.नं. 1 ता 25कुल रकबा 8.850 नहरी मय खाला हेतु पंहुच मार्ग चाहा हैं। प्रार्थीगण द्वारा अमरसर के प.नं. 232/303 मु.नं. 2 के कि.नं. 1—10—11—20—21 में से रास्ता चाहा गया हैं। राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त रकबा रामलाल पुत्र देवाराम जाति बावरी सा0 अमरसर की खातेदारी भूमि हैं। उक्त चाहा गया रास्ता(प्रस्तावित) सबसे निकटतम रास्ता है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज एवं मौका पर चालू रास्ते से लगता हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में पंहुच हेतु उक्त रास्ते के अलावा चक अमरसर के प.नं. 229/308 मु.नं. 46 के कि.नं. 21 के कोने से रास्ते की आवश्यकता होगी जो भागीरथ वल्द रामूराम कौम ब्राहमण साकिन ठाकरी खातेदारी भूमि हैं।

(राजेन्द्र सिंह)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी सं. 2 को सुना गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु चक अमरसर के मु.नं. 2 के कि.नं. 1–10–11–20–21 में दो–दो बिस्वा पश्चिमी पासा एवं मु.नं. 46 के कि.नं. 21 में .001है. यानि 8¼ X 8¼ फुट रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने भी अपनी बहस में रास्ता स्वीकृति हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने पर अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का काई एतराज आदि प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। तथा अप्रार्थी गोपाली देवी ने अपनी भूमि में रास्ता स्वीकृत करने बाबत सहमति पत्र भी पेश किया हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क(1) रा.का.अ. का स्वीकार किया जाता हैं। तथा चक अमरसर के मु.नं. 2 के कि.नं. 1–10–11–20–21 में दो–दो बिस्वा व मु.नं. 46 के कि.नं. 21 में .001है. यानि 8¼ X 8¼ फुट कोना पश्चिमी पासा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थीगण रास्ते में आई भूमि के मुआवजे के तौर पर अप्रार्थीगण को रास्ते में आई भूमि के डी.एल.सी. राशि की दो गुणा राशि देंगे। तहसीलदार रायसिंहनगर प्रार्थीगण से राशि जमा करवा अप्रार्थीगण को नियमानुसार उनके हिस्सानुसार राशि का भुगतान करें। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर राजस्व रिकार्ड में स्वीकृतशुदा गैर मुम. रास्ता का अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2019.12.13 12:01:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: